"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 561] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 29 अक्टूबर 2020 — कार्तिक 7, शक 1942

वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 29 अक्टूबर 2020

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ मूलभूत सुविधाओं का विकास नियम 2020

क्रमांक 783/226/ब-4/वित्त/चार/2020.— अतिरिक्त आबकारी शुल्क (विशेष कोरोना शुल्क) के माध्यम से संग्रहित राशि को मूलभूत सुविधाओं के विकास संबंधी कार्यों पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा विस्तार—**

(एक) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ मूलभूत सुविधाओं का विकास नियम, 2020 होगा।

(दो) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगा।

(तीन) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा।

2. **योजना राशि का प्रशासन—**

(एक) योजना का प्रशासन वित विभाग में निहित होगा। कार्यों की स्वीकृति एवं आबंटन वित विभाग द्वारा संबंधित विभागों को प्रदाय किया जायेगा।

(दो) विभाग अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के कियान्वयन एवं मॉनिटरिंग का दायित्व संबंधित प्रशासकीय विभाग का होगा।

3. **योजना राशि का उपयोग—** निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु योजना राशि का उपयोग किया जायेगा।

(एक) स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुणवत्ता उन्नयन की दृष्टि से अतिरिक्त अधोसंरचना निर्माण, संधारण एवं स्वास्थ्य उपकरणों की व्यवस्था हेतु।

(दो) शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता उन्नयन की दृष्टि से अतिरिक्त अधोसंरचना निर्माण, संधारण एवं शिक्षा उपकरणों एवं सामग्री की व्यवस्था हेतु।

(तीन) आजीविका संवर्धन हेतु आवश्यक अधोसंरचना निर्माण अथवा अन्य आवर्ती व्यय।

4. **योजना राशि से कार्यों की स्वीकृति–**

(एक) योजना में उपलब्ध राशि से कार्यों की स्वीकृति शासी निकाय द्वारा प्रदाय की जायेगी।

(दो) इस हेतु निम्नानुसार शासी निकाय का गठन किया गया है :–

मुख्यमंत्री	–	अध्यक्ष
मंत्री (वित्त विभाग)	–	सदस्य
मंत्री (स्वास्थ्य विभाग)	–	सदस्य
मंत्री (स्कूल शिक्षा विभाग)	–	सदस्य
मुख्य सचिव	–	सदस्य
भारसाधक सचिव (वित्त विभाग)	–	सदस्य सचिव

(तीन) शासी निकाय की बैठक सामान्यतः 03 माह में एक बार अथवा आवश्यक होने पर समय पूर्व आयोजित की जा सकेगी।

(चार) शासी निकाय द्वारा उच्च स्तरीय परीक्षण समिति से अनुशंसित कार्यों पर विचार उपरांत स्वीकृति अथवा अस्वीकृति का निर्णय लिया जायेगा।

5. **योजना राशि के व्यय की प्रक्रिया–**

(एक) विभिन्न विभागों, जन प्रतिनिधियों अथवा गणमान्य नागरिकों से प्राप्त प्रस्ताव एवं सुझावों का परीक्षण करने एवं अनुशंसा करने हेतु निम्नानुसार उच्च स्तरीय परीक्षण समिति का गठन किया गया है:–

भारसाधक मुख्य सचिव	–	अध्यक्ष
भारसाधक सचिव (वित्त विभाग)	–	सदस्य
भारसाधक सचिव (स्वास्थ्य विभाग)	–	सदस्य
भारसाधक सचिव (स्कूल शिक्षा विभाग)	–	सदस्य
नामांकित विशेष/संयुक्त/उप सचिव (वित्त विभाग)	–	सदस्य सचिव

(दो) सदस्य सचिव द्वारा सभी प्राप्त प्रस्तावों की सूची तैयार कर उच्च स्तरीय परीक्षण समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। समिति की अनुशंसा अभिलिखित करते हुए अमान्य प्रस्ताव संबंधी विभागों को वापिस भेजे जायेंगे।

(तीन) सदस्य सचिव समिति द्वारा अनुशंसित प्रस्ताव की सूची तैयार कर शासी निकाय की बैठक बुलाने हेतु नस्ती भारसाधक सचिव, वित को प्रस्तुत करेंगे।

(चार) शासी निकाय द्वारा अनुमोदित प्रकरणों का स्वीकृति आदेश एवं आबंटन वित्त विभाग द्वारा संबंधित विभागों को जारी किया जायेगा।

(पांच) स्वीकृत कार्यों के विस्तृत तकनीकी प्राक्लन तैयार करना, सक्षम प्रशासकीय स्वीकृति जारी करना, कियान्वयन एजेंसी का निर्धारण एवं अन्य शर्तें कियान्वयन अवधि में कार्यों का मूल्यांकन तथा कार्यों के पूर्णता एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग को भेजने का दायित्व संबंधित प्रशासकीय विभागों का होगा।

(छः) किन्ही भी कारणों से स्वीकृत कार्यों का कियान्वयन संभव न होने की स्थिति में कार्यों में संशोधन अथवा निरस्तीकरण का प्रस्ताव संबंधित विभागों द्वारा वित्त विभाग को भेजा जायेगा तथा ऐसे कार्यों की राशि कोषालय से आहरित नहीं की जायेगी।

(सात) स्वीकृत कार्यों का लेखा संधारण एवं ऑडिट निष्पादन विभाग की अन्य योजनाओं की भांति संबंधित विभागों द्वारा किया जायेगा तथा प्रति माह योजना अंतर्गत कोषालय से आहरित एवं व्यय राशि का पत्रक की एक प्रति वित्त विभाग को भी भेजी जायेगी।

6. **योजना हेतु, राशि की उपलब्धता–** प्रति वर्ष आबकारी विभाग के परामर्श पर अतिरिक्त आबकारी शुल्क में संभावित प्राप्तियों का आंकलन करते हुए वार्षिक प्राप्तियों के अनुरूप बजट प्रावधान की कार्यवाही वित्त विभाग द्वारा की जायेगी।

7. **योजना का अनुश्रवण एवं मुल्यांकन–**

(एक) योजना में स्वीकृत कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करते हुए गुणवत्ता नियंत्रण का प्राथमिक दायित्व संबंधित प्रशासकीय विभाग का होगा।

(दो) विशेष अनुरोध/निर्देश प्राप्त होने पर अथवा स्वतः संज्ञान से इस हेतु निर्देश वित्त विभाग द्वारा भी दिया जा सकेगा।

8. **निर्देश जारी करने अथवा नियम में संशोधन की शक्तियां–** इस नियम के प्रावधानों के असंगत कोई विसंगति, चूक एवं कठिनाईयों को निराकृत करने के लिए शासन द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किया जा सकेगा अथवा इस नियम के प्रावधानों में संशोधन किया जा सकेगा।

हस्ता./–

(अमिताभ जैन)
अपर मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2020.